THE ECONOMIC TIMES

bajaj Corp Ltd.

CIN: L01110RJ2006PLC047173

Regd. Office: Old Station Road, Sevashram Chouraha, Udaipur - 313 001, Rajasthan, **Phone:** 0294-2561631-32

Email: complianceofficer@bajajcorp.com **Website:** www.bajajcorp.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 12th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company is scheduled to be held on Monday, July 23, 2018 at 10.00 A.M. at Crimson Park Shree Kanak Hotel, 328-A, Sevashram Circle, Airport Road, Udaipur - 313 001, Rajasthan, to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the AGM.

Pursuant to provisions of Section 101 of the Companies Act, 2013 read with Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification(s), clarification(s), exemption(s), re-enactment(s) or substitution(s) thereof for the time being in force), Regulation 36 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) and Secretarial Standard on General Meetings, the Notice of the 12th AGM along with the Annual Report of the Company for the Financial Year 2017-18, has been sent in electronic mode to those Members whose e-mail IDs are registered with the Registrar and Transfer Agent (RTA) of the Company, Karvy Computershare Private Limited (Karvy), or the Depository Participant(s) and physical copy of the same has been sent by permitted mode, to those Members whose e-mail IDs are not so registered.

Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 (including any statutory modification(s), clarification(s), exemption(s), re-enactment(s) or substitution(s) thereof for the time being in force), Regulation 44 of Listing Regulations and Secretarial Standard on General Meetings, the Company is providing to its Members a facility to cast their vote on all the business items set forth in the Notice of AGM by electronic means from a place other than the venue of the AGM ("remote e-voting") using an electronic voting system provided by Karvy.

The remote e-voting period will commence on Thursday, July 19, 2018 at 9.00 A.M. (IST) and ends on Sunday, July 22, 2018 at 5.00 P.M. During this period, Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date, being Monday, July 16, 2018 may cast their votes through remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by Karvy for voting after 5.00 P.M. on Sunday, July 22, 2018 and remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. Once the vote on a Resolution is cast by a Member, any subsequent changes shall not be allowed.

The voting rights of the Members shall be in proportion to their shares in the paid-up Share Capital of the Company as on the cut-off date, being Monday, July 16, 2018.

Any person who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of the AGM Notice and is holding shares as on the cut-off date, being Monday, July 16, 2018, may refer to the Notice of the AGM of the Company, posted on Company's website at www.bajajcorp.com for detailed procedure with regard to remote e-voting. The Notice shall also be available at https://evoting.karvy.com. Any person, who ceases to be the Member of the Company as on the cut-off date and is in receipt of the Notice of the AGM, shall treat the same for information purpose only.

In terms of provisions of Section 107 of the Companies Act, 2013, since the Company is providing the facility of remote e-voting to the Members, there shall be no voting by show of hands at the AGM. The Company is also offering facility for voting by way of Polling Papers/Ballot Papers at the AGM for the Members attending the meeting, who have not cast their vote by remote e-voting. However, Members who have already cast their votes by remote e-voting prior to the AGM, may attend the AGM but shall not be entitled to vote. If a Member cast votes by both modes i.e. remote e-voting and Polling Papers/Ballot Papers at the AGM, then voting done through remote e-voting shall prevail and vote cast through Polling Paper shall be treated as invalid.

The Company has appointed Mr. Prasanjit Kumar Baul, (Membership No. A 34347) or failing him Mr. Hitesh Gupta (Membership No. A33684) from M/s Gupta Baul & Associates, Company Secretaries in Practice, as the Scrutinizer to scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

Members who have not received the Notice and Annual Report may download the same from the website of the Company www.bajajcorp.com or from the website of Karvy https://evoting.karvy.com .

The Members are requested to read the instructions pertaining to remote e-voting as printed in the Notice of the AGM carefully. In case, members having any queries or issues or grievances regarding remote e-voting, they may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Members, available at the downloads sections of https://evoting.karvy.com or write an email/contact the following :

A. Mrs. C. Shobha Anand
Karvy Computershare Private Limited,
Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32,
Gachibowli, Financial District, Nanakramguda,
Hyderabad - 500 032
Email : einward.ris@karvy.com
Phone : 1-800-3454-001 (Toll free)

B. Secretarial Department
Bajaj Corp Limited
117, 11th Floor, Bajaj Bhawan,
Jamnalal Bajaj Marg,
226, Nariman Point,
Mumbai – 400 021
Email : sethu@bajajcorp.com
Phone : 022-22049056/58/8633

The documents pertaining to the items of the business to be transacted in the AGM are open for inspection at the Registered Office of the Company during business hours on all working days except Saturdays, Sundays and National Holidays up to the date of the 12th AGM of the Company.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of Listing Regulations, the Register of Members and the Share Transfer book of the Company will remain closed from Tuesday, July 17, 2018 to Monday, July 23, 2018 (both days inclusive) for the purpose of 12th AGM of the Company.

The entry to the meeting venue will be regulated by Attendance Slips, which have been sent along with the Annual Report to the Members. Members who have received Attendance Slips by electronic mode are requested to print the Attendance Slip and submit a duly filed in Attendance Slip at the registration counter to attend the AGM. Please note that duplicate Attendance Slips will not be issued.

For Bajaj Corp Limited
Sd/-
D. K. Maloo
Chief Financial Officer

Place: Mumbai
Date : 23.06.2018

bajaj Corp Ltd.
सीआईएन : L01110RJ2006PLC047173
पंजीकृत कार्यालय : ओल्ड स्टेशन रोड, सेवाश्रम चौराहा,
उदयपुर - ३१३००१, राजस्थान, फोन : ०२९४-२५६१६३१-३२
ईमेल: complianceofficer@bajajcorp.com | वेबसाईट: www.bajajcorp.com

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि, कंपनी के सदस्यों की १२ वी वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) सोमवार, दि.२३ जुलाई २०१८ को सुबह १०.०० को क्रीमसन पार्क श्री कनक होटेल, ३२८-ए, सेवाश्रम सर्कल, एअरपोर्ट रोड, उदयपूर - ३१३००१, राजस्थान, मे आयोजित की जाएगी। जिसमे एजीएम की सूचना मे विहित सामान्य और विशेष कारोबार पर कारवाई कि जायेगी।

कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १०१ के प्रावधानो के अनुसार, कंपनियों के नियम १८ (प्रबंध एवं प्रशासन) नियम, २०१४, के साथ पठित, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय निगम (सूचि दायित्वो और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनिमय, २०१५ (सूची विनियमन) के विनियमन ३६ और सामान्य बैठक के सेक्रेटरीयल मानक के तहत वित्तीय वर्ष २०१७-२०१८ के लिए कंपनी के सालाना अहवाल के साथ १२ वी एजीएम की सूचना जिन सदस्यो के ई-मेल आइडिज़ कंपनी के निबंधक एवं ट्रान्सफर एजेंट (आरटीए), मे. कार्वी कम्प्युटरशेअर प्राइवेट लिमिटेड (कार्वी) या डिपॉजिटरी पार्टिसिपंट्स के पास पंजीकृत हैं उन्हें इलेक्ट्रोनिक तरीके से भेजी गई है तथा जिन सदस्यों के ई-मेल आइडीज़ पंजीकृत नही हैं उन्हे मूर्त रूप मे अनुज्ञेय मोड द्वारा भेजे गये।

कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १०८ के प्रावधानो के अनुसार, कंपनियों के नियम २० (प्रबंध एवं प्रशासन) नियम, २०१४, कंपनी (प्रबंध एंव प्रशासन) संशोधन नियम, २०१५ द्वारा संशोधित (किसी भी वैधानिक संशोधन, स्पष्टिकरण, छूट, पुनःअधिनियम या प्रतिस्थापन जो लागू हो) सूची विनियमन के नियमन ४४ एंव सामान्य बैठक के सेक्रेटरीयल मानक के तहत एजीएम की सूचना मे विहित सभी कारोबारी मदों पर अपना मत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से (दुरस्थ ई-मतदान) याने की एजीएम के स्थान के अलावा अन्य स्थान से अपना मत डालने की सुविधा प्रदान कर रही हैं, जिसे कार्वी द्वारा मुहैया की गई है।

दुरस्थ ई-मतदान की अवधि गुरुवार, दि. १९ जुलाई, २०१८ को सुबह ९.०० बजे से शुरू होकर सोमवार, दि. २२ जुलाई, २०१८ को शाम ५.०० बजे को समाप्त होगी। इस अवधि के दरम्यान निर्दिष्ट तारीख अर्थात सोमवार, दि. १६ जुलाई, २०१८ को भौतिक रूप में या डीमटेरियलाइज्ड रुप में कंपनी के शेअर धारक दुरस्थ ई-मतदान के माध्यम से अपना मत दे सकते है। रविवार, दि. २२ जुलाई २०१८ को शाम ५.०० के पश्चात कार्वी द्वारा मतदान हेतु दुरस्थ ई-मतदान प्रणाली बंद कर दि जाएगी और इस तारीख और समय पश्चात दुरस्थ ई-मतदान की अनुमती नहीं दि जाएगी। सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार मत देने के पश्चात दोबारा उसमे बदलाव की अनुमती नहीं रहेगी।

निर्धारित निर्दिष्ट तारीख अर्थात सोमवार, दि. १६ जुलाई २०१८ के अनुसार कंपनी के चूकता शेअर पूंजी में अनुपात के प्रमाण में सदस्यों के मतदान का हक रहेंगा।

एजीएम सूचना प्रेषण के पश्चात यदि कोई भी व्यक्ति कंपनी के शेअर्स अधिग्रहण करता है और निर्धारित निर्दिष्ट तारीख यानी सोमवार, दि. १६ जुलाई २०१८ को शेअर धारक होता है तो वह व्यक्ति दुरस्थ ई- मतदान के संदर्भ में विस्तृत प्रक्रिया जानने हेतु कंपनी की वेबसाइट www.bajajcorp.com पर एजीएम की सूचना देखें। सूचना https://evoting.karvy.com परभी उपलब्ध है। यदि कोई व्यक्ति निर्धारित निर्दिष्ट तारीख को कंपनी का सदस्य नहीं रहता है और उसे एजीएम की सूचना प्राप्त होती है, इस मामले में यह सूचना केवल जानकारी हेतु मानी जाए।

कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १०७ के प्रावधानों के तहत कंपनी सदस्यों को दुरस्थ ई-मतदान सुविधा प्रदान कर रही है और इस लिए एजीएम में हाथों से संमती या विरोध के तौर पर भौतिक रूप मे मतदान नहीं होगा। जिन सदस्यों ने दुरस्थ ई- मतदान के माध्यम से अपना मत नही दिया है उन्हे सभा में मतदान पत्रिका/मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा भी कंपनी द्वारा प्रदान की जा रही है। तथापी, जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व दुरस्थ ई-मतदान द्वारा अपना मत दिया है उन्है दोबार मत देने की अनुमती नही रहेगी। यदि कोई सदस्य दोनो पद्धती से यानी की दुरस्थ ई-मतदान और एजीएम के स्थान पर मतदानपत्रिका / मतपत्र के माध्यम से मत देता है तो दुरस्थ ई-मतदान द्वारा दिया गया मत ग्राह्य माना जाएगा और मतदान पत्रिका के माध्यम से दिया गया मत अवैध माना जाएगा।

मतदान और दुरस्थ ई-मतदान प्रक्रिया निःपक्ष एवं पारदर्शी पद्धती से करवाने के लिए परीनिरीक्षक के तौर पर कंपनी ने मे. गुप्ता बौल ॲन्ड असोसिएट्स, कार्यरत कंपनी सचिव के श्री. प्रसनजीत कुमार बौल (सदस्यत्व क्रमांक. ए ३४३४७) उनकी अनुपस्थिती में श्री. हितेश गुप्ता (सदस्यत्व क्रमांक. ए ३३६८४) की नियुक्ती की है।

जिन सदस्यों को सूचना और वार्षिक अवहाल प्राप्त नही हुआ हो, वे कंपनी की वेबसाइट www.bajajcorp.com या कार्वी की वेबसाइट https://evoting.karvy.com से डाउनलोड कर सकते है। कंपनी सदस्य कृपया एजीएम की सूचना मे मुद्रित दुरस्थ ई- मतदान से संबंधित निर्देश ध्यानपूर्वक पढे। दुरस्थ ई-मतदान के बारे में सदस्यों को यदि कोई प्रश्न, मुद्दे या शिकायत हैं तो वे https://evoting.karvy.com के downloads sections तहत उपलब्ध सदस्यों के लिए Frequently Asked Questions (FAQs) या ई-मतदान उपयोगकर्ता पुस्तीका का पठन करे या ईमेल लिखे/ निचे लिखे पते पर सम्पर्क करें।

ए) श्रीमती. सी. शोभा आनंद
कार्वी कम्प्युटरशेअर प्राइवेट लिमिटेड
कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट ३१-३२, गाचीबोवली, फायनान्शियल डिस्ट्रिक्ट,
नानकरामगुडा, हैदराबाद - ५०००३२.
ई-मेल einward.ris@karvy.com
दूरभाष : १-८००-३४५४-००१ (टौलफ्री)

बी) सचिवालय विभाग
बजाज कॉर्प लिमिटेड
११७, ११ वी मंजिल, बजाज भवन,
जमनालाल बजाज मार्ग,
२२६,नरिमन पॉइंट,
मुंबई- ४०००२१.
ई-मेल : sethu@bajajcorp.com
दुरभाषः ०२२-२२०४९०५६/५८/८६३३.

एजीएम में विचार विनिमय किए जानेवाली मुदों से संबंधित कागजात परीक्षण हेतु, कंपनी के पंजिकृत कार्यालय में कंपनी की १२वी एजीएम की तिथी तक सभी कार्यलयींन दिनो में शनिवार, रविवार और राष्ट्रीय छुट्टी के अलावा सर्वसाधारण कारोबार के समय में उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम २०१३ के धारा ९१ के प्रावधानों तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, २०१४ के नियम १० और सूची विनियमन के विनियमन ४२ के तहत कंपनी की १२वी एजीएम हेतु कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेअर अंतरण बहि मंगलवार, दि.१७ जुलाई,२०१८ से सोमवार, दि. २३ जुलाई, २०१८ (दोनो दिन शामील) तक बंद रहेंगे।

सदस्यों को सालाना अहवाल के साथ भेजी गई उपस्थिती पत्र से सभा में प्रवेश नियंत्रीत है। जिन सदस्यो की ईलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपस्थिती पत्र की प्राप्त हुए हो वे कृपया उपस्थिती पत्र की प्रिंट निकलवाएं और भरकर एजीएम मे उपस्थिती हेतु पंजीकरण काऊंटर पर पेश करें। ड्युप्लिकेट उपस्थिती पत्र जारी नहीं किए जाएंगे, इस बात को ध्यान में रखें।

बजाज कॉर्प लिमिटेड के लिए
हस्ताक्षर
डी. के. मालू
मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थान : मुंबई
तारीख : २३.०६.२०१८